कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / 2412 लखनऊः दिनांक 21/3/2016

–:: कार्यालय ज्ञाप ::–

अवगत कराना है, कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को पी0जी0 डिप्लोमा वर्ष 2015–2016 में अध्ययन हेतु दो वर्षीय पाठ्यक्रम के शासनादेश संख्या–डब्लू0पी0–633/चि–3–15–जी0–74/2013, दिनांक 08.08.2015 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अर्ह चिकित्सा अधिकारियों की अध्ययन हेतु द्वितीय काउसिंलिंग दिनांक 30.03.2016 को प्रस्तावित है। यह काउसिंलिंग दिनांक 30.03.2016 को समय – प्रातः 11:00 बजे स्थान–अपर निदेशक (प्रशिक्षण), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में कराया जाना निर्धारित है, अर्ह अभ्यर्थियों की संषोधित अंतिम सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रिक्त सीटों का विवरण मेडिकल कालेजवार निम्नवत है। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में **डी0ए0–01** अनुसूचित जाति, मेडिकल कालेज, कानपुर में **डी0जी0ओ0–01** अनुसूचित जाति, मेडिकल कालेज, लखनऊ में **डी0पी0एच0–02** अनुसूचित जाति एवं **डी0पी0एच0–01** और **डी0ओ0एम0एस–01** अन्य पिछड़ा वर्ग, मेडिकल कालेज, मेरठ **डी0ओ0एम0एस–01** अनुसूचित जनजाति मेडिकल कालेज आगरा **डी0ए0–01** सामान्य के इस तरह **कुल–08** सीट रिक्त है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को पी0जी0 डिप्लोमा के काउसिंलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है:–

1. कलर पास पोर्ट साइज फोटो
2. एम0बी0बी0एस0 डिग्री
3. नियुक्ति पत्र
4. प्रथम (नव नियुक्ति पर) प्रभार प्रमाण –पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र
6. विभाग द्वारा जारी पी–2 प्रोफार्मा

चिकित्सा अधिकारियों को काउसिंलिंग में समय से पहुंचना अनिवार्य है, जो चिकित्सा अधिकारी समय से काउसिंलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, परन्तु उसी दिन बाद में आ जाते हैं तो उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही पूर्व के वरिष्ठता स्थान पर उसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

यदि दो अभ्यर्थियों की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक ही है तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर जो वरिष्ठ होगा उसका चयन पहले किया जायेगा।

अतः प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्धारित तिथि, एवं स्थान पर समय से एक घण्टा पहले (10:00 बजे) प्रातः उपस्थित हो कर रजिस्ट्रेशन करना सुनिष्चित करें। संबंधित चिकित्साधिकारियों के विवरण विभाग की वेबसाइट **http://uphealth.up.nic.in** पर अपलोड है तथा समाचार पत्रों में अवलोकन करना सुनिष्चित करें, ताकि उनकी काउसिंलिंग करायी जा सके।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या प्रशि0प्रको0/पी0जी0/2015–16/ **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. स्टॉफ आफिसर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. स्टॉफ आफिसर महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. स्टॉफ आफिसर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
7. समस्त निदेशक/प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय/टी0बी0 चिकित्सालय/अन्य चिकित्सालय उ0प्र0।
8. अनु सचिव चिकित्सा अनुभाग–2 एवं 3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/महामंत्री पी0एम0एच0एस0 संवर्ग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)